10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

500 रु. आदेश की छायाप्रति संलग्न है

298

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प सागर म०प्र०

नि/निगरानी/पन्ना/भू.रा/2017/4975

1- श्रीमती लक्ष्मी बाई सोनी उम्र वर्ष बेवा स्व०सुरेश सोनी

2- निखिल सोनी उम्र 30 साल पिता स्व०सुरेश सोनी

3- गगन सोनी उम्र 33 साल पिता स्व० सुरेश सोनी

4- आशीष सोनी उम्र 28 साल पिता स्व०सुरेश सोनी

सभी निवासी ग्राम रैपुरा तहसील रैपुरा जिला पन्ना

--- पुनरीक्षणकर्तागण

B.O.R.

// विरूद्ध //

श्रीमती काशीबाई सोनकर पत्नी छन्नू लाल सोनकर

निवासी रैपुरा तह० रैपुरा जिला पन्ना म०प्र० --प्रत्यर्थी/अनावेदिका

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना है :-

// प्रकरण के तथ्य //

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा निम्न न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर के समक्ष एक अपील वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.198 हे0 भूमि मौजा भरवारा पट०ह०नं० 31 राजस्व निरी० मण्डल रैपुरा तहसील रैपुरा जिला पन्ना म०प्र० की संशोधन पंजी क्र०6 वर्ष 1992-93 के आदेश दिनांक 7.11.1993 द्वारा किये गये नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की थी, उक्त अवधि बाह्य अपील को धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत बिना किसी पर्याप्त वैधानिक आधार के विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा समय सीमा में दिनांक 26.9.2017 को स्वीकार कर सुनवाई में लिया गया है जो विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना के समक्ष राजस्व अपील क्र० 2/अपील/16-17

आ.दि. 26-9-17

श्री अनिल चौबे, अधि० ... साक्षांकित ... कार्यालय कलेक्टर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

अनिल चौबे

213
27/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-एक/निग./पन्ना/भू.रा./2017/4975

श्रीमती लक्ष्मीबाई आदि विरूद्ध श्रीमती काशीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 02/अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक ~~26-09-2014~~ 26-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 9/1/19
सदस्य